

(ग) छोटी कागज मिलों प्रबन्ध 2000 टन क्षमता के लिए 75 प्रतिशत, 2000 से 5000 टन क्षमता के लिए 60 प्रतिशत और 5000 से 10000 टन क्षमता के लिए 50 प्रतिशत की तरह की 3,000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली छोटी औद्योगिक बोर्ड मिलों के लिए शुल्क में 75 प्रतिशत छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश ब्रह्मचारी) : (क) जिन छोटे निर्माताओं की पिछले वर्ष में निकालियाँ, 5 लाख रुपये की प्रथम निकालियों पर देय शुल्क में 15 लाख रुपये से अधिक नहीं थी, उन्हें प्रास्तावित देनेकी दृष्टि से सरकार ने 1978 के बजट प्रस्तावों के अनुसरण में 69 निर्दिष्ट बन्धुओं के निर्माणकर्ता छोटे एकको को छूट दी है। परन्तु औद्योगिक मिल बोर्ड और 7,1 बोर्ड मिलों के मामले में भारत सरकार राजस्व विभाग की 16 मार्च, 1976 की धिसूचना संख्या 70/76 के 30 उ० द्वारा उत्पादन शुल्क में छूट की एक प्रत्येक योजना प्रदान की गयी है।

(ख) प्रश्न का आशय स्पष्ट नहीं है। वर्तमान बजट में विशेष उत्पादन शुल्क लगाने का परिणाम, लगने योग्य मूल्य शुल्क के 1/20 भाग को छोड़ कर कागज और गत्ते पर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यह शुल्क बड़ी और छोटी दोनों वर्गों मिलों पर लागू होता है।

(ग) छोटी कागज मिलों का जिन कारणों से शुल्क में वरिधायत दी गयी है वे वरिधायतों के साथ-साथ लागत संबंधी घाटे हैं जो छोटी कागज मिलों विशेषांकृत बड़ी कागज मिलों के मुकाबले उठता है। छोटी औद्योगिक बोर्ड मिलों के मामले में, इन प्रकार के घाटे बड़ी वर्गों मिलों के मुकाबले प्रभावी रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं।

[टाटा कम्पनी जमशेदपुर (बिहार) पर करों की बकाया राशि

6049. श्री आर० पी० बाल्गी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा कम्पनी जमशेदपुर, बिहार पर 1 मार्च, 1978 को करों की कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुलकिशार उल्लाह) : इस प्रश्न का सम्बन्ध मप्रदेश टाटा धायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड से है, जिस का मुख्य जमशेदपुर में है। 1-3-1978 की स्थिति के अनुसार, इस कम्पनी पर 17.91 लाख रुपये की सकल भाग बकाया थी। यह भाग विवाद प्रस्त है और अपील का निपटारा होने तक इस राशि दिया गया है।

ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत

6050. श्री राज कंधार बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दातवाला समिति ने प्रथम प्रतिवेदन तैयार करते हुए ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से श्रमिक समस्याओं पर बातचीत की थी तथा इस बारे में क्या प्रगति हुई है और यह प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एच० पटेल) : चूंकि कोई मान्यताप्राप्त ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ नहीं है, इसलिए दातवाला समिति ने ऐसे किसी संघ से बातचीत नहीं की। 23-2-1978 को भारतीय रिजर्व बैंक का प्रस्तुत की गई दातवाला समिति की प्रतिवेदन भारतीय रिजर्व बैंक की दिशियों के संघों सरकार का शास्य उपलब्ध होने का सम्बन्ध है।